शिव मोहर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
कार्य विभाजन आदेश–2024

कमांक / 41 / का.वि. / 24 छिन्दवाड़ा, दिनांक 13.04.2024

दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिव मोहर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार किया जाता है।

यह आदेश दिनांक **13/04/2024** से प्रभावशील होगा।

कं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकार क्षेत्र/आरक्षी केन्द्र	कार्य विभाजन
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	श्री शिव मोहर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिन्दवाडा	1. कोतवाली 2. जी.आर.पी. (रेलवे पुलिस) छिंदवाडा 3. मोहखेड़	1. थाना सिटी कोतवाली, जी.आर.पी. (रेलवे पुलिस) छिंदवाडा क्षेत्रातंर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. नगर निगम छिन्दवाड़ा से उद्भूत नगर निगम अधिनियम/नगर निगम अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 3. जिला छिंदवाड़ा के संपूर्ण आरक्षी केन्द्र/आबकारी वृत्त से उद्भूत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत धारा 34(2) के अपराध से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 4. आबकारी वृत्त क्रमांक–01 एवं 02 छिंदवाड़ा तथा आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुंडीपुरा, देहात, लावाघोघरी एवं मोहखेड़ के अंतर्गत उत्पन्न धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधी

			प्रकरण। 7. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 8. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, कुण्डीपुरा, मोहखेड़, लावाघोघरी क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 9. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। 10. फैक्ट्री अधिनियम और श्रम कानूनों से संबंधित परिवाद पत्र। 11. सम्पूर्ण जिले में पुलिस विभाग एवं वन विभाग द्वारा **नेशनल पार्क क्षेत्र** से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन कमांक B/643/III-6-6/90 जबलपुर, दिनांक 25/01/2020 के आदेशानुसार Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)** 12. आरक्षी केन्द्र कोतवाली तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 13. खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत परिवाद पत्र। 14. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 15. भूमि अर्जन पुनर्वाशन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 90 के अधीन थाना कोतवाली, देहात, परतला, कुण्डीपुरा, मोहखेड़, लावाघोघरी एवं उनसे संबंधित तहसील क्षेत्र से प्रस्तुत होने वाले परिवाद पत्र। 16. **मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल, दिनांक 28.06.2007**

			के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के न्यायालय को छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतुल एवं नरसिंहपुर की सीमाओं से उत्पन्न निम्नलिखित अधिनियमों के लिए विशेष न्यायालय घोषित किया गया है:– (अ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का – 1) (ब) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1922 (1992 का – 22) (स) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का – 1) (द) धनकर अधिनियम 1957 (1957 का – 27) (इ) दानकर अधिनियम 1958 (1958 का – 18) (प) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का – 43) (फ) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का – 52) (ट) निर्यात क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 (1963 का – 22) (ठ) कंपनीज (लाभ अतिकर) अधिनियम 1964 (1964 का – 7) (ड) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 (1969 का – 54) (ढ) 1–6–2000 से प्रभावी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का संख्यांक – 46) से उद्भूत होने वाले प्रकरणों का विचारण करना। 17. सम्पूर्ण जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारजी प्रकरणों का निराकरण। 18. ऐसे समस्त न्यायिक कार्य जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के हैं, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं है। 19. संपूर्ण जिले में स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले या अन्य क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सहयोग से आकस्मिक वाहन चैकिंग से उत्पन्न अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु चलित न्यायालय लगाना।
02.	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	1–देहात	1. आरक्षी केन्द्र देहात के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य

			मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो।) 2. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 5. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 6. उक्त आरक्षी केन्द्र तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 9. **ग्राम न्यायालय छिंदवाड़ा** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना।

			11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
03.	श्री राहुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	1–कुण्डीपुरा 2–यातायात	1. आरक्षी केन्द्र कुण्डीपुरा एवं यातायात के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो।) 2. उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सैटेलमेंट एक्ट, 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 7. उक्त आरक्षी केन्द्र तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण**

			अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर) 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 9. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 10. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली छिंदवाड़ा के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 11. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 12. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 13. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
04.	श्री गोपाल जाटव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	1–महिला थाना छिंदवाड़ा, 2–लावाघोघरी	1. आरक्षी केन्द्र महिला थाना छिंदवाड़ा एवं लावाघोघरी के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुण्डीपुरा, देहात, जी.आर.पी. (रेलवे पुलिस), मोहखेड़, लावाघोघरी के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के प्रकरण।

			3. आरक्षी केन्द्र मोहखेड़ के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो।) 4. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मोहखेड़ एवं देहात के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एण्ड सैटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

तहसील न्यायालय – परासिया			
05.	श्री जगमोहन सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	परासिया रावनवाड़ा	1. आरक्षी केन्द्र परासिया एवं रावनवाड़ा के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त परासिया, रावनवाड़ा, उमरेठ तथा आरक्षी केन्द्र परासिया रावनवाड़ा, उमरेठ से उदभूत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सैटेलमेंट एक्ट, 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 5. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं

			कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 6. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित प्रकरण। 9. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स से संबंधित प्रकरण। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ.द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 10. उक्त आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 11. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ एवं उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 12. आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा, चांदामेटा, उमरेठ के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 13. उक्त आरक्षी क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का

			सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
06.	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	उमरेठ	1. आरक्षी केन्द्र उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. उक्त आरक्षी केन्द्र अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. आरक्षी केन्द्र परासिया, चांदामेटा, रावानवाड़ा एवं उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण।

			9. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 11. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 12. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
07	सुश्री संघशिखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	चांदामेटा	1. आरक्षी केन्द्र चांदामेटा के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. उक्त आरक्षी केन्द्र अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सैटेलमेंट एक्ट, 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के**

			क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर) 5. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 9. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 11. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 12.माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
तहसील न्यायालय – जुन्नारदेव			
08.	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुन्नारदेव	1–जुन्नारदेव 2–दमुआ	1. आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव एवं दमुआ के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर)

			2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त जुन्नारदेव एवं दमुआ तथा आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव से उद्भूत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 6. आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, दमुआ के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्रों क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 9. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 10. उक्त आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 11. आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, दमुआ तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक**

			प्रकरणों को छोडकर) 12. आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, दमुआ के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 13. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 15. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
09.	श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुन्नारदेव	1–तामिया 2–नवेगांव 3–माहुलझिर	1. आरक्षी केन्द्र तामिया, नवेगांव एवं माहुलझिर के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र।**(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।

			6. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 8. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 9. उक्त आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका/नगर पंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 10. आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत के अतिरिक्त जुन्नारदेव एवं दमुआ थाने के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण। 11. आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 12. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
तहसील न्यायालय – अमरवाड़ा			
10.	श्री तनवीर खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाडा	अमरवाड़ा	1. आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां,

			जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त अमरवाडा एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र।**(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 9. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 10. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)**

			11. उक्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र का विचारण एवं परिवाद पत्र। 12. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
11.	श्रीमती सुरभि कटकवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा,		1. आरक्षी केन्द्र अमरवाडा के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र अमरवाडा के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
तहसील न्यायालय – हर्रई			
12.	श्री आकाश अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हर्रई	1– हर्रई 2– बटकाखापा	1. आरक्षी केन्द्र हर्रई एवं बटकाखापा के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को

			इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरण। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र।**(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 6. आरक्षी केन्द्र हर्रई एवं बटकाखापा के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 9. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 10. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 11. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध। 12. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से

			संबंधित प्रकरणों की सुनवायी करना। 13. उक्त आरक्षी केन्द्र एवं उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 14. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र का विचारण एवं परिवाद पत्र। 15. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 16. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 17. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
	तहसील न्यायालय – चौरई		
13.	श्री रामप्रसाद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	चौरई	1. आरक्षी केन्द्र चौरई के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त चौरई एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र।**(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को**

			छोड़कर) 4. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 9. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 10. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र का विचारण एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 11. आरक्षी केन्द्र चौरई एवं चांद के अंतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 12. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 14.माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।

14.	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	चांद	1. आरक्षी केन्द्र चांद के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त चांद एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र।**(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 8. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 9. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 10. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

			11.माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
15.	सुश्री निधि लारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई		1. आरक्षी केन्द्र चांद एवं चौरई के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र चांद, चौरई के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र चांद, चौरई के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
तहसील न्यायालय – सौंसर			
16.	श्री सचिन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	1–सौसर 2–बिछुआ 3–लोधीखेड़ा	1. आरक्षी केन्द्र सौंसर, बिछुआ एवं लोधीखेड़ा केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. संपूर्ण आबकारी वृत्त सौंसर एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी

			के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. आरक्षी केन्द्र सौंसर, बिछुआ एवं लोधीखेड़ा के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 5. उक्त आरक्षी केन्द्र बिछुआ के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 6. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 7. उक्त आरक्षी केन्द्रों क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 9. उक्त आरक्षी केन्द्रों क्षेत्रांतर्गत व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स। **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 10. उक्त आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका/नगर पंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 11. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा एवं बिछुआ तथा उक्त वन क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 12. आरक्षी केन्द्र सौंसर मोहगांव, लोधीखेडा एवं बिछुआ क्षेत्रांतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र।

			13. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा, मोहगांव, के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण। 14. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा एवं मोहगांव के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 15. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 16. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 17.माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
17	सुश्री सौम्या सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	मोहगांव	1. आरक्षी केन्द्र मोहगांव के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र मोहगांव से उदभूत म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र।

			(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) 5. उक्त आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेड़ा, मोहगांव, के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 6. आरक्षी केन्द्र मोहगांव क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 8. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 9. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका/नगर पंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 10. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा, मोहगांव, के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण। 11. आरक्षी केन्द्र सौंसर, लोधीखेडा एवं मोहगांव के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 12. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 14.माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित

			न्यायालय लगाना।
तहसील न्यायालय – पांढुर्णा			
18.	श्री भूपेन्द्र आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांढुर्णा	ग्राम न्यायालय, पांढुर्णा	1–माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के **रजिस्ट्री पत्र कमांक डी/4247/II–15– 18/2001 जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2021 तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 17(ई)43/2009/21–ब(एक)/3240/2021 के पालन में ग्राम न्यायालय पांढुर्णा** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण। 2–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
19.	श्री भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाण्डुर्णा	पांढुर्णा	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त पाढुंर्णा एवं आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा से उदभूत म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 3. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र।**(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 4. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 5. आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण।

			Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर) 11. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 12. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 14.माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
20.	श्री संजीत चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना		1. आरक्षी केन्द्र पांढुर्ना के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र पांढुर्ना के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र पांढुर्ना के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा

			2. आरक्षी केन्द्र पांढुर्ना के क्षेत्रांतर्गत अध्याय–9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र पांढुर्ना के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट –अ

धारा–164 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों एवं अभियुक्तगण के कथन/संस्वीकृतियां, निम्नानुसार उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से विवेचना अधिकारी या आरक्षी केन्द्र के भारसाधक अधिकारी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विधि अनुरूप उनके समक्ष उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लेख की जावेगी।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :–

क.	आरक्षी केंद्र का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कथन लेख करेंगे।	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कॉलम 2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम जो कॉलम 3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे
1	थाना कोतवाली, मोहखेड़, जी.आर.पी., छिंदवाडा	श्री मेहताब सिंह बघेल , न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्री राहुल जैन, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्री गोपाल जाटव, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,
2	महिला थाना, छिंदवाड़ा, लावाघोघरी	श्री राहुल जैन, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,
3	थाना देहात, एवं थाना अ.जा. क	श्री राहुल जैन, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्री गोपाल जाटव, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,
4	थाना कुण्डीपुरा, थाना यातायात	श्री गोपाल जाटव, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,	श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रे. छिंदवाड़ा,

		न्यायालय – परासिया		
5	थाना परासिया/ रावनवाड़ा	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्या.मजि.प्र. श्रे. परासिया	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री राहुल सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव
6	थाना चांदामेटा,	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री जगमोहन सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री विष्णुप्रसाद सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव
7	थाना उमरेठ	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्या.मजि.प्र. श्रे. परासिया	श्री जगमोहन सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री राहुल सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव
		न्यायालय – जुन्नारदेव		
9	थाना जुन्नारदेव, दमुआ	श्री राहुल सोनी, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया
11	थाना तामिया, माहुलझिर एवं नवेगांव	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रे. जुन्नारदेव	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया	श्री जगमोहन सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. परासिया
		न्यायालय – अमरवाड़ा		
12	थाना अमरवाडा	सुश्री सुरभि कटकवार, न्या.मजि.प्र. श्रे. अमरवाड़ा	श्री आकाश अहिरवार, न्या.मजि.प्र.श्रे. हर्रई	श्री रामप्रसाद सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. चौरई
		न्यायालय – हर्रई		
13	थाना हर्रई, बटकाखापा	सुश्री सुरभि कटकवार, न्या.मजि.प्र. श्रे. अमरवाड़ा	श्री तनवीर खान, न्या.मजि.प्र.श्रे. अमरवाड़ा	श्री धर्मेन्द्र खंडायत, न्या.मजि.प्र.श्रे. चौरई
		न्यायालय – चौरई		
14	थाना चौरई	सुश्री निधि लारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. चौरई	श्री धर्मेन्द्र खंडायत, न्या.मजि.प्र.श्रे.चौरई	सुश्री सुरभि कटकवार न्या.मजि.प्र.श्रे. अमरवाड़ा
15	थाना चांद	सुश्री निधि लारिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. चौरई	श्री रामप्रसाद सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. चौरई	श्री तनवीर खान, न्या.मजि.प्र.श्रे. अमरवाड़ा
		न्यायालय – सौंसर		
16	थाना सौंसर, बिछुआ एवं लोधीखेड़ा	सुश्री सौम्या सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. सौंसर	श्री संजीत चौरसिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. पांढुर्ना	श्री भूपेन्द्र आर्य, न्या.मजि. प्र.श्रे. पांढुर्णा,
17	थाना मोहगांव	श्री सचिन जैन, न्या. मजि.प्र.श्रे. सौंसर	श्री संजीत चौरसिया, न्या.मजि.प्र.श्रे. पांढुर्ना	श्री भूपेन्द्र आर्य, न्या.मजि. प्र.श्रे. पांढुर्णा,
		न्यायालय – पांढुर्णा		
19	पाढुंर्णा	श्री संजीत चौरसिया,	सुश्री सौम्या सिंह,	श्री सचिन जैन,

		न्या.मजि.प्र.श्रे. पांढुर्णा	न्या.मजि.प्र.श्रे. सौंसर	न्या.मजि.प्र.श्रे. सौंसर

(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छिन्दवाड़ा

नोटः–

1– आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुण्डीपुरा, देहात, जी.आर.पी., मोहखेड, लावाघोघरी के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **श्री गोपाल जाटव, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, छिंदवाड़ा** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **श्री गोपाल जाटव** के अलावा कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

2– आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र परासिया, रावनवाडा/शिवपुरी, चांदामेटा, उमरेठ के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा न्या.मजि.प्र.श्रेणी, परासिया** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा** के अलावा उपरोक्त न्यायालय में **उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** के द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित नहीं होने की दशा में कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

3– आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र जुन्नारदेव, दमुआ, तामिया, नवेगांव, माहुलझिर के क्षेत्रांतर्गत घ रेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **श्री राहुल सोनी न्या.मजि.प्र.श्रेणी, जुन्नारदेव** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **श्री राहुल सोनी** के अलावा उपरोक्त न्यायालय में **उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** के द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित नहीं होने की दशा में कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

4– आरक्षी केन्द्र अमरवाडा के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **न्या.मजि.प्र.श्रेणी श्रीमती सुरभि कटकवार** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **श्रीमती सुरभि कटकवार** के अलावा उपरोक्त न्यायालय में **उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** के द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित नहीं होने की दशा में कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

5– आरक्षी केन्द्र बटकाखापा, हर्रई के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय

अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **न्या.मजि.प्र.श्रेणी श्री आकाश अहिरवार** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्‌भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **श्री आकाश अहिरवार** के अलावा कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

6— आरक्षी केन्द्र चांद, चौरई के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **सुश्री निधि लारिया, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, चौरई** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्‌भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **सुश्री निधि लारिया** के अलावा उपरोक्त न्यायालय में **उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** के द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित नहीं होने की दशा में कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

7— आरक्षी केन्द्र सौंसर, मोहगांव, लोधीखेडा, बिछुआ के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **सुश्री सौम्या सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, सौंसर** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्‌भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **सुश्री सौम्या सिंह** के अलावा उपरोक्त न्यायालय में **उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** के द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित नहीं होने की दशा में कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

8— आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा के क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **श्री संजीत चौरसिया, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, पांढुर्णा** को है। अतः उक्त क्षेत्रों से उद्‌भूत उपरोक्त उल्लेखित अधिनियमों और धाराओं में 164 दं.प्र.सं. के कथन **श्री संजीत चौरसिया,** के अलावा उपरोक्त न्यायालय में **उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** के द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे, अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित नहीं होने की दशा में कमानुसार सूची में दर्शित न्यायिक अधिकारी द्वारा लेख किये जायेंगे।

(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा

परिशिष्ट —ब

कॉलम नंबर—1 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर—2 में उल्लेखित, न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा कॉलम नंबर—2 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर—3 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी द्वारा अत्यावश्यक कार्य का संपादन किया जाएगा।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :—

क.	कॉलम नं.—1	कॉलम नं.—2	कॉलम नं.—3

1	श्री शिव मोहर सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	श्री राहुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा
2	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	श्री राहुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	श्री गोपाल जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा
3	श्री राहुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	श्री गोपाल जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा
4	श्री गोपाल जाटव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	श्री राहुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा	श्री मेहताब सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा
5	श्री जगमोहन सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया
6	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	श्री जगमोहन सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया
7	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया	श्री जगमोहन सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया
8	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुन्नारदेव	श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुन्नारदेव	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया
9	श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुन्नारदेव	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुन्नारदेव	सुश्री संघशिखा बंशकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, परासिया
10	श्री तनवीन खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा	श्रीमती सुरभि कटकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा	श्री रामप्रसाद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई
11	श्रीमती सुरभि कटकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा	श्री तनवीर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा	श्री धर्मेन्द्र खंडायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई
12	श्री आकाश अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हर्रई	श्रीमती सुरभि कटकवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा	श्री तनवीर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा
13	श्री रामप्रसाद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	श्री धर्मेन्द्र खंडायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	सुश्री निधि लारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई
14	श्री धर्मेन्द्र खंडायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	श्री रामप्रसाद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई	सुश्री निधि लारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई
15	सुश्री निधि लारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री धर्मेन्द्र खंडायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री रामप्रसाद सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

	चौरई	चौरई	चौरई
16	सुश्री सौम्या सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सौंसर	श्री सचिन जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सौंसर	श्री संजीत चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांढुर्ना
17	श्री सचिन जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	सुश्री सौम्या सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	श्री भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना
18	श्री भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांढुर्ना	श्री संजीत चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांढुर्ना	सुश्री सौम्या सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सौंसर
19	श्री संजीत चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांढुर्ना	श्री भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांढुर्ना	सुश्री सौम्या सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सौंसर

विशेष नोटः— प्रतिदिन विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कार्यदिवस में (अन्यथा आदेशित नहीं किये जाने की दशा में) रिमाण्ड कार्यवाही प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट उपरोक्त कार्यविभाजन के अनुसार सीनियार्टी पद कम के अनुसार प्रत्येक माह में लगातार 7—7 दिन कमशः रिमाण्ड सम्पादित करेंगे तथा साक्ष्य लेखन हेतु सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

नोटः—

1. जिला न्यायिक स्थापना छिंदवाड़ा में कॉलम नं. 3 में उल्लेखित अधिकारी अवकाश पर हैं तो तालिका के स्तंभ कमांक 1 की द्वितीय पंक्ति में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी द्वारा उनका कार्य निष्पादित किया जावेगा। इसी प्रकार यही कम आगे भी जारी रहेगा।

2. किन्हीं अपरिहार्य कारणवश कॉलम नं—1 के न्यायालय के अवकाश पर होने के फलस्वरूप उनके न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य देखने वाले कॉलम कमांक 2 एवं 3 में लेख पीठासीन अधिकारियों के भी अवकाश पर रहने की स्थिति में परासिया न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय जुन्नारदेव में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (कमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा जुन्नारदेव न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय परासिया में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (कमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा तामिया न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय जुन्नारदेव में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (कमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा अमरवाडा न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय चौरई में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (कमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा चौरई न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय अमरवाड़ा में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अथवा उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा हर्रई न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय अमरवाड़ा में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी (कमानुसार जो उपलब्ध हो) द्वारा तथा तथा सौंसर न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य न्यायालय पाढुंर्ना में पदस्थ वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा (कमानुसार जो उपलब्ध हो) तथा पाढुंर्ना न्यायालय के अत्याश्यक कार्य न्यायालय सौंसर में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी या उपलब्ध किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जायेगे।

3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कुंडीपुरा, देहात, लावाघोघरी, मोहखेड़, महिला थाना तथा जी.आर.पी. छिंदवाड़ा थाने के **स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट** जारीकर्ता न्यायालय या उनका

पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में हो तो संबंधित **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट** के संबंध में कार्यवाही उस न्यायालय द्वारा संपादित की जावेगी।

किन्ही परिस्थितियों में यदि स्थाई वांरट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में नहीं है अथवा रिक्त होने की दशा में ऐसे **स्थाई गिरफ्तारी वारंट** के संबंध में कार्यवाही **श्री गोपाल जाटव, न्या.मजि.प्र.श्रेणी** छिंदवाड़ा के न्यायालय द्वारा संपादित की जायेगी।

4. तहसील न्यायालयों से संबंधित थाना अंतर्गत स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय या उनका पद उत्तरवर्तीय न्यायालय अस्तित्व में हो तो स्थाई गिरफतारी वारंट के संबंध में कार्यवाही उस न्यायालय न्यायालय द्वारा संपादित की जावेगी।

किन्ही परिस्थितियों में यदि स्थाई वांरट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में नहीं है अथवा रिक्त होने की दशा में ऐसे **स्थाई गिरफ्तारी वारंट** के संबंध में कार्यवाही संबंधित थाने के क्षेत्राधिकार धारित करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संपादित की जावेगी।

5. संबंधित न्यायिक अधिकारी उनके आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत खात्मा प्रकरणों का निराकरण करेंगे।

6. उक्त कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेखित समस्त आरक्षी केन्द्रों में उनसे संबंधित चौकियां भी सम्मिलित हैं।

7. संबंधित न्यायिक अधिकारी उनके आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत **स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में धारा 52(क)** के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करेंगे।

8. जिला स्थापना पर प्राप्त ऐसे आदेश/निर्णय अभिलेख प्रपत्र जो मान्नीय उच्चतम न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं अन्य मान्नीय वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होते हैं, यदि विचारण न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय मौजूद है तब वहां प्रस्तुत किये जायेंगे अन्य स्थितियों में परिणाम दर्ज किये जाने एवं आनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु मुख्यालय छिंदवाडा की स्थिति में **न्या.मजि.प्र.श्रेणी गोपाल जाटव** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। तहसीलों में न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में आवेदन वहां पदस्थ **वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

9. किसी भी प्रकार के विविध आवेदन, जमानत निरस्त करना, अर्थदण्ड की वापसी, अन्य जिलों से प्राप्त स्थायी वारंट स्थानांतरण आदि के संबंध में आवेदन यदि न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो वहां प्रस्तुत किये जायेंगे। न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में छिंदवाडा मुख्यालय में आवेदन **श्री राहुल जैन न्या.मजि.प्र.श्रेणी छिंदवाड़ा** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। तहसीलों में न्यायालय या पद उत्तरवर्ती न्यायालय के अस्तित्व में न होने की स्थिति में आवेदन वहां पदस्थ **वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट** के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

10. किसी/किन्हीं न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण अथवा अवकाश पर रहने की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट उक्त न्यायालय के समस्त आवश्यक दाण्डिक कार्य करेंगे, जिनमें सुपुर्दगी एवं जमानत आवेदनों का निराकरण, रिमाण्ड कार्यवाही, नए प्रस्तुत

संक्षिप्त विचारणीय अभियोग पत्र/परिवाद पत्र। का स्वीकारोक्ति के आधार पर निराकरण, अभियोग पत्र ग्रहण करना प्रतिलिपियों के लिए मंजूरी देना भी शामिल है। साथ ही अचानक कार्यदिवस के दौरान अवकाश घोषित होने की दशा में जिला स्थापना एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ सबसे **कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी** उपलब्धता के अनुसार रिमाण्ड एवं अन्य कार्यवाही निष्पादित करेंगे।

जिला जेल छिंदवाड़ा एवं न्यायालय छिंदवाड़ा अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है :–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री मेहताब सिंह बघेल,	13.04.2024	30.06.2024
2	श्री राहुल जैन,	01.07.2024	30.09.2024
3	श्री गोपाल जाटव,	01.10.2024	31.12.2024

उपजेल अमरवाड़ा/आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा एवं उनसे संबंधित चौकियों हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है :–

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री तनवीर खान,	13.04.2024	31.08.2024
2	श्रीमती सुरभि कटकवार	01.09.2024	31.12.2024

तहसील न्यायालय परासिया अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है :–

1.	श्री जगमोहन सिंग,	13.04.2024	30.06.2024
2..	सुश्री शिमोना सिंह कुल्हारा,	01.07.2024	30.09.2024
3.	सुश्री संघशिखा बंशकार,	01.10.2024	31.12.2024

तहसील न्यायालय जुन्नारदेव अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है:–

1.	श्री राहुल सोनी,	13.04.2024	31.08.2024
2.	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी,	01.09.2024	31.12.2024

तहसील न्यायालय तामिया अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है:–

1.	श्री राहुल सोनी,	13.04.2024	31.12.2024

तहसील न्यायालय हर्रई अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है :–

2.	श्री आकाश अहिरवार,	13.04.2024	31.12.2024

तहसील न्यायालय चौरई अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत

मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है :–			
1.	श्री रामप्रसाद सिंह,	13.04.2024	31.08.2024
2.	श्री धर्मेन्द्र खंडायत,	01.09.2024	31.12.2024
तहसील न्यायालय सौंसर अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है:–			
1.	श्री सचिन जैन,	13.04.2024	31.08.2024
2.	सुश्री सौम्या सिंह,	01.09.2024	31.12.2024
तहसील न्यायालय पांढुर्णा अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र हेतु धारा 176 (1–ए) दं.प्र.सं. के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है:–			
1.	श्री भूपेन्द्र आर्य,	13.04.2024	31.08.2024
2.	श्री संजीत चौरसिया,	01.09.2024	31.12.2024

नोट– यदि मृतक बंदी की मृत्यु दिनांक/पंचनामा बनाये जाने की दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जांच/पंचनामा की कार्यवाही उनके प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

सही/–
(श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिंदवाड़ा

(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा

पृष्ठांकन क./307/का.वि./2024 छिन्दवाड़ा, दिनांक 13/04/2024

प्रति,

1–माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2–निज सहायक, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा।
3–माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, एट्रोसिटी, छिंदवाड़ा।
4–प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिंदवाडा ।
5–माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, जिला छिंदवाड़ा।
6–समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7–सांख्यिकी अनुभाग– कार्यालय जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा।
8–पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9–पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की निम्नलिखित अधिनियम से संबंधित विभागों – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार विकास और विनियमन) अधिनियम, कंपनी अधिनियम, धनकर अधिनियम,

दानकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, निर्यात क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम, कंपनीज (लाभ अतिकर) अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रभारी अधिकारियों को सूचित/प्रेषित की जायें।

10—पुलिस अधीक्षक छिंदवाडा की ओर संबंधित आरक्षी केन्द्रों/चौकियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11—जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा।

12—कमिश्नर नगर निगम छिंदवाडा।

13—जिला आबकारी अधिकारी छिन्दवाड़ा।

14—जिला खनिज अधिकारी।

15—मुख्य वन संरक्षक छिंदवाडा।

16—उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छिंदवाडा।

17—लोक अभियोजक छिंदवाडा।

18—उपसंचालक लोक अभियोजन छिंदवाडा।

19—जिला अभियोजन अधिकारी छिन्दवाड़ा।

20—सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर/पांढुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई/तामिया/हर्रई।

21—अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा/सौंसर/पांढुर्णा/परासिया/जुन्नारदेव/अमरवाड़ा/चौरई/तामिया/हर्रई।

22—जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं विभागो को ई—मेल द्वारा सूचित किये जाने बाबत् प्रेषित।

13.4.24

(शिव मोहर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा